संख्या-132/2017/2162/26-3-2017-100(115)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रथम 05 माहों हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-394/1-29/2017-18/बजट/शो0प्र0सं0, दिनांक-04.08.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 की सुसंगत लेखा शीर्षक-"2225-02-796-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें'' में संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-237.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या-63/2017/945/26-3-2017-100(115)/99, दिनांक-26.04.2017 द्वारा प्रथम 05 माह हेतु निर्गत की गयी धनराशि को समायोजित करते हुये रूपया-101.54 लाख (रूपया एक करोड़ एक लाख चौवन हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रू0 (लाख में)

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें-	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2017-18	वर्ष 2017-18 में (05 माह हेतु स्वीकृत धनराशि)	अवशेष धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत की जानी है।
01-वेतन	168.57	105.30	63.27
02-मजदूरी	2.50	1.04	1.46
03-मँहगाई भत्ता	10.11	5.26	4.85
04-यात्रा व्यय	3.00	1.25	1.75
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40	0.17	0.23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

06- अन्य भत्ते	13.63	5.68	7.95
07- मानदेय	1.50	0.63	0.87
08- कार्यालय व्यय	1.50	0.63	0.87
09- विदयुत देय	1.00	0.42	0.58
10-जलकर / जलप्रभार	0.05	0.02	0.03
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.60	0.25	0.35
12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	2.00	0.83	1.17
13- टेलीफोन पर व्यय	0.35	0.15	0.20
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	2.92	4.08
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.21	0.29
18- प्रकाशन	0.50	0.21	0.29
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.04	0.06
22- आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	0.20	0.08	0.12
41- भोजन व्यय	1.88	0.78	1.10
42- अन्य व्यय	0.30	0.13	0.17
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.37	0.15	0.22
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.21	0.29
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	0.83	1.17
49- चिकित्सा व्यय	2.10	1.46	0.64
51- वर्दी व्यय	0.10	0.04	0.06
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय	15.24	6.35	8.89
योग	**237.00**	**135.46**	**101.54**

(1)- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2)- उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)- उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4)- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)-उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा जो धनराशि अवशेष बचेगी उसे वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017 231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-132/2017/2162(1)/26-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in